स्टाम्प्स अपील प्रकरण क्रमांक : /2014

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर के समक्ष

A-3629-PBR/14

श्री राजेश फरक्या
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 25/9/2014
को प्रस्तुत

सेटेलाईट सिटी होम्स प्रा.लि.,
6/3, न्यू पलासिया, इन्दौर म.प्र. 614/25.09.2014
तर्फे अधि. श्री अतुल पिता स्व. श्री सुरेन्द्रसिंह सुराणा,
6/3, न्यू पलासिया, इन्दौर म.प्र. ––– **अपीलार्थी**

विरूद्ध

1. न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स,
   जिला पंजीयक, इन्दौर, सुखलिया,
   इन्दौर (म.प्र.)
2. उप–पंजीयक, इन्दौर,
   सुखलिया, इन्दौर (म.प्र.) ––– रेस्पांडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 47(ए) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

श्रीमान् कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला इन्दौर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 132/बी–103/08–09/33 में दिनांक 03.12.2013 को पारित आदेश के द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 33 के अधीन दर्ज प्रकरण में न्यून स्टाम्प मानने से कमी मुद्रांक राशि रूपये 1,46,796/– (अक्षरी रूपये एक लाख छियालिस हजार सात सौ छियानवे) जमा करने हेतु पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील निम्नलिखित आधारों पर नियत समयावधि में प्रस्तुत है:–

अविरत.....

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक A– 3629–पीबीआर/14 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–5–2015	अपीलार्थी की ओर से श्री राजेश फरक्या अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता पर तर्क सुने गये । अपीलार्थी की ओर से यह अपील कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.12.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 25.9.2014 को भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 47(4) प्रस्तुत की गई है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 33 एवं 40(1)(ख) के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है । उक्त धाराओं के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । अधिनियम की धारा 47–क(4) के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स द्वारा अधिनियम की धारा 47–क(2) अथवा 47–क(3) के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त को अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त इस न्यायालय में यह निगरानी लगभग 8 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स द्वारा बिना अपीलार्थी को सूचना दिये एक पक्षीय आदेश पारित करना दर्शाया गया है, जबकि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स के आदेश से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है, और उसके द्वारा उपस्थित होकर जबाव भी प्रस्तुत किया गया है । अतः विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं ठहराया जा सकता है । इस प्रकार यह निगरानी प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों के विपरीत एवं अवधि बाह्य प्रस्तुत किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	